



6

न्यायालय में माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर



सचिव क्लब भवन उमरिया

स्टेसो / 3182 / III / 15

— आवेदक

बनाम

शासन वगैरह

— अनावेदकगण

दि. 24-9-15 को की गई सुनवाई
24-9-15

निगरानी विरुद्ध निर्णय श्रीमान् कलेक्टर महोदय उमरिया
आवेदन पत्र पुनर्स्थापित किए जाने प्रकरण क्र. 2323/
तीन/13 अंतर्गत धारा 35 (3) भूरा.सं. 1959

21-2-16

आवेदन आदिपक्षी के के. के. लिवेरी उपना
अनां. ७०। शासकीय क्लब आदिपक्षी आदिपक्षी
की वारसा उपना अनां. ७२ को राजीब डाक
से सूचना उपबन्धन जारी उपना नहीं।
अतः उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की
जाती है। उभय पक्ष आदिपक्षी के लक्ष्य सुने
प्रकरण के प्रस्ताव आधार होने से अस्तित्व
आवेदन पत्र शरीर कर किया जाता है। मूल
प्रकरण R-2323-III/13 पुनः सुनवाई हेतु मन्वर

21/2/16
24/2/16

सचिव

[क. प. उ.]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>पर दिया जाता है प्रकृत सार्वजनिक रिकार्ड है।</p> <p>सिरीस</p>	<p></p>